श्री राम विलास पासवान : उसके ऊपर जहां कहीं से शिकायत आ रही है, हम कार्यवाही कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी सेंटर का बताये तो उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ।

*422[*The question* (*Shri Ramdas Agarwal*) *was absent. For answer vide col.* 33-34 infra]

Plight of working Children

*423. SHRI MAHENDRA PRASAD :

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a UNICEF report, entitled "the Invisible Child" as referred to in a news-item captioned, 'Plight of Working Children' which appeared in the 'National Herald' of 14th June, 1990 depicting the conditions of working and other poor children in the capital and in other urban areas in the country; and

(b) if so, what action Government propose to take in this regard with a view to ameliorate their plight ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (*See* below)

Statement

The report published in National Herald of 14-6-1990 on 'plight of working children' refers to a UNICEF report entitled 'The Invisible Child'. In this report of UNICEF, the plight of poor children in Delhi has been described. The slum dwelling children's problems regarding shelter, water supply, pollution, malnutrition, health, education, disability etc. have been mentioned.

2. This problem is essentially because of poverty and a number of programmes by a number of government departments have been undertaken in this direction. For example,

(a) Urban Basic Services . . . . By Ministry of Urban Development

(b) Delhi Development Authority—Slum Wing programmes . . . . By Ministry of Urban Development.

(c) Health and Education Programmes . By Delhi Administration.

(d) Programmes for the welfare of children in need of care and protection. . . By Ministry of Welfare.

(e) Programme of prevention and control of juvenile social mal-adjustment. . . By Ministry of Welfare.

3. As per the National Policy of Children adopted in 1974, children are assets of the Nation and under this policy, Government tries, to the extent possible, to have programmes for integrated development of children. Under National Child Labour Policy of 1987, regulations and welfare schemes for child labour have been provided for.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, child labour in our country continues to be a shame and a tragedy at the same time. For a change, I am talking about the urban children. In Delhi alone, there are 4 lakhs of children who are child workers. One lakh are street children. We see them every morning, every afternoon, every evening and every night. Eighty per cent of these children are above the age of 12 years. Another one lakh children are working as domestic help. Now, after reading this thoroughly disappointing reply, may I ask as to in what manner you have answered this question and as to in what manner these various programmes which have been indicated have alleviated the problem?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, जहां तक यह सवाल है, दिल्ली के संबंध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, अभी तक 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे पूरे देश में 375.9 लाख ऐसे बच्चे हैं जोकि अनाथ हैं । दिल्ली की जो जनसंख्या है, कोई ऐसा आंकड़ा दिल्ली के लिए उपलब्ध नहीं है। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार इन्होंने 4 लाख की बात कही है और इसमें दो मत नहीं है कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसमें हम भी अपने को शामिल करते हैं । अभी तक जो भी कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप जानते हैं कि दो तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं । एक तो स्वयं सरकार की संस्थाएं हैं चूंकि राज्य सरकार का मामला है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो हम को रिपोर्ट देती है, उसी के मुताबिक हम आपको जवाब भी देते हैं । जहां तक गुडनाइट का मामला है, गुडनाइट होम हमारे यहां 10 दिल्ली में चल रहे हैं, स्पेशल होम दो हैं और तीन आब्जर्वेशन होम हैं और आफ्टर केअर होम दो हैं। इसके अलावा 10 स्वयं सेवी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। यदि उनका नाम आप चाहें, तो उनकी भी मेरे पास लिस्ट है, वह भी आप को बतलाना चाहेंगे ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, it is really unfortunate since we are on the question, may I ask the hon. Minister what steps are being taken? He must be aware by now that the International Convention on the Rights of a Child has been adopted by the United Nations. I think one of the first steps he can take is to ratify that Convention. I would like to know whether he has started moving in that direction. May I have an assurance from the Minister that he will keep before the House periodical figures particularly with regard to Delhi? Since my question if about Delhi, I would like to know as to how these systems about which he has said in his reply are working and how many children are being benefited and how this process is expanding?

श्री सभापति : दिल्ली के लिए नोटिस चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, दिल्ली का मैंने कह दिया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पूछा था । उसके पास दिल्ली का कोई आंकड़ा नहीं है। सभापति महोदय, जो कामकाजी बच्चों की समस्या है, हालांकि हैंडिंग में काम्काजी बच्चे हैं, लेकिन यह जो समस्या है वह है निराश्रित बच्चों की है जिनको कि देखने-वाला कोई नहीं है । और जैसाकि मैंने कहा इनकी संख्या काफी है। इस में दो राय नहीं है । जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह भी कार्यक्रम सफीसिएंट नहीं है। वैसे जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास में है, जैसे जुवनाइल होम्स है, उसकी जो कैपिसिटी है वह 1290 है ...(व्यवधान).. दिल्ली की बात है । लेकिन उनमें जो रहने वाले बच्चे हैं, वह केवल 879 हैं । तो मतलब 300 जगह वहां खाली पड़ी हुई है। उसी तरह से और भी जो स्पेशल होम्स है, उनकी कैपिसिटी 70 है और उसमें 13 बच्चे रहते हैं । अब उसके कारण क्या है क्योंकि बच्चों की संख्या कम है । लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जोकि रिपोर्ट में कहा है, वह है गरीबी । जब तक गरीबी की समस्या दूर नहीं हो जाती है क्योंकि कुछ बच्चे भीख मांगने का काम करते या रोड पर

इधर-उधर घूमने का काम करते हैं या और भी जो निराश्रित हैं, उनकी सब की जड़ में गरीबी है और जब तक गरीबी की समस्या का निदान नहीं होता मैं समझता हूं कि इस समस्या का निदान भी सम्भव नहीं है। सरकार के द्वारा जैसा कि मैंने कहा कि जो स्वयंसेवी संस्थायें हैं उसमें 90 प्रतिशत हम उसको अनुदान देते हैं। 10 प्रतिशत केवल स्वयंसेवी संस्थायें अपना अनुदान देकर के चलाती हैं और उनका भी मेन परपज है वहीं जो बच्चे हैं उन बच्चों की देखभाल करना, उनको शिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना, पुनर्वास की व्यवस्था करना। लेकिन अभी हमने यह भी पता लगाया कि इसमें जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ट्रेनिंग पाने के बाद जितने बच्चे हैं, जो जाकर के पुनर्वास कर पाते हैं तो उसका भी कोई लेखा-जोखा नहीं है। लेकिन जो आपकी चिंता है उससे हम अपने को सम्मिलित करते हैं और निश्चित रूप से दिल्ली के मामले में हम पूरा पता लगा कर के सारे विवरण को सभा-पटल पर रखने का काम करेंगे।

श्री सभापति : मेरा प्रश्न यह है कि आप रेटिफिकेशन करेंगे क्या कंवेंशन का। आप तो इधर-उधर की बातें बता रहे हैं।

The main question was about ratification. Are you willing or are you proceedings towards the ratification of the Convention?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कल बातचीत हुई थी और उससे संबंधित दिशा में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब तो आप मुझे मौका दे दें।

श्री सभापति : अभी ठहरिये, आपका नम्बर आयेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि उनका जवाब हो गया, अब मेरा ही नम्बर है।

श्री सभापति : नहीं, अभी आपका नम्बर इसलिये नहीं आया कि महेन्द्र प्रसाद जी बैठे हुये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहां बैठे हुये हैं?

श्री सभापति : पहचानते हैं आप तो उन्हें? उनके बाद आपका नम्बर आयेगा।

श्री महेन्द्र प्रसाद : मेरा अधिकार ले लें कोई हर्ज नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं समझा था कि अभी आए नहीं।

श्री सभापति : बहुत से लोगों ने अटल बिहारी जी का अधिकार ले रखा है तो कभी-कभी यह भी किसी का अधिकार ले लें तो कोई बुराई नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : उन्होंने पहले अधिकार छोड़ दिया है। आपने पहले उनको पुकारा, अगर नहीं पुकारा है तो चेयर से गड़बड़ी हुई है और अगर पुकारा है, वह नहीं उठे हैं तब फिर उनको... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं- नहीं, वह थे नहीं उसके बाद आये हैं। सप्लीमेंट्री में उनको प्रायोरिटी दे सकता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : पहले जब उनका नाम था।

श्री सभापति : पहले उठते तो उनको दो मिनट थे। अब एक मिनट मिल रहा है। यह तो सीधी बात है।

श्री महेन्द्र प्रसाद : मेरा आधा तो समय मार ही लिया, कम से कम आधा समय तो ले लेने दीजिये।

Mr. Chairman, Sir, recently a Task Force on child welfare headed by the emirent jurist, Mr. L. M. Singhvi in its report to Government submitted in February this year made various recommendations for effectively checking and monitoring child labour. such as, (1) formulation of a National Child Code to comprehensively

manage the wholesome development of the child, (2) setting up of a powerful ambudsman to guard against exploitation of child labour, and setting up of a separate Ministry or Department of Child at the Centre and in the States...

श्री सभापति : आप कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, अब आप सवाल पूछ लीजिए ।

SHRI MAHENDRA PRASAD : ...for protection of child against exploitation. May I know, Sir, what decisions have been taken by the Government on each of these well-pronounced recommendations ?

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि सिंघवी जी की अध्यक्षता में जो हमने एक कमेटी बनायी थी उसमें एक टास्क फोर्स बनायी गयी थी और उसके संबंध में पिछले दिनों हमने लेबर मंत्रालय की तरफ से उसकी बैठक भी बुलायी थी और वह सरकार के विचाराधीन है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

SHRI MAHENDRA PRASAD : Sir, the Prime Minister is here. Is he considering to have a separate Ministry for Child Welfare in the Centre ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : No.

SHRI V. NARAYANASAMY : The Prime Minister is neglecting the children.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : There are no children in the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, आगामी 29-30 सितम्बर को बच्चों के सवाल पर पहला विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा है। 70 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष उस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं--बाल शिखर सम्मेलन। प्रधान मंत्री जी को भी निमंत्रित किया गया है।

श्री सभापति : अच्छा, सबसे एलीजिबल बाल तो आप भी हैं, आपको कैसे छोड़ दिया?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं अध्यक्ष जी, यहां बाल भी हैं और गोपाल भी हैं।

श्री सभापति : आप बाल क्या हैं वह तो आप जानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं, अध्यक्ष जी । सभापति जी, मगर उस शिखर सम्मेलन से पहले यह आवश्यक है कि अब बच्चों के अधिकारों के बारे में भंडारे साहब ने यह प्रश्न पूछा है। जो कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेम्बली ने पारित किया है, उसकी भारत पुष्टि करे । मुझे लगता है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में उस कन्वेंशन को मानने में कुछ कठिनाई है क्योंकि उनकी धारणा यह है कि अगर आज हमने यह कन्वेंशन माना तो कल हमें अपने सारे कानून बदलने पड़ेंगे । कन्वेंशन का यह कारण नहीं है। कन्वेंशन एक दिशा निर्धारित करता है और भारत अपने को प्रतिबद्ध करेगा उस दिशा में जाने के लिए कि हम भविष्य में जो भी कदम उठाएंगे, उस कन्वेंशन के अनुकूल ही होंगे। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में प्रधान मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और वह कन्वेंशन हम सम्मेलन से पहले रेक्टिफाई करें, इसका प्रबंध करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, कल माननीय अटल बिहारी जी के साथ और श्रम मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई है और जो इन्होंने शंका व्यक्त की है, वह सही शंका है और जैसा कि इन्होंने कहा है और अधिकारियों के सामने भी कहा है कि यदि सिर्फ इस तरह की बात है तो हम समझते हैं कि सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार इस पर गम्भीरता से और शीघ्र-अतिशीघ्र कार्यवाही करेगी ।

श्री सभापति : कुमारी सरोज खापर्डे । आप नहीं पूछ रही हैं, बहुत अच्छा है । कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया ... (**व्यवधान**) ...

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, ...

श्री सभापति : आप नहीं पूछना चाहतीं तो छोड़ दीजिए । ...(**व्यवधान**) ... मुझे लगा कि आप नहीं पूछना चाहतीं।

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पूछना चाहूंगी।

श्री सभापति : मैंने बुलाया था आपको पहले लेकिन आपने बजाए मंत्री जी से पूछने के फोतेदार जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया ।

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज पहुंची, मैं देख रही थी कि किस मंत्री ने भेजी है।

श्रीमन्, मंत्री जी ने भंडारे साहब के सवाल का जवाब देते हुए कहा और मैं जो समझ पाई उन प्रश्नों को ठीक ढंग से, उसमें से एक शंका मेरे मन में उत्पन्न हुई और वह यह है कि आपने जैसे कहा कि निराश्रित बच्चे और काम-काजी बच्चे । मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार की परिभाषा क्या है काम-काजी और निराश्रित बच्चों के बारे में ?

श्री राम विलास पासवान : सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लावारिस बच्चे होते हैं, जिनको कोई देखने-भालने वाला नहीं होता । दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कानून बने हुए हैं कि कानूनन् वे काम नहीं कर सकते हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी माइन्स हैं जो खतरनाक माइन्स हैं और कारपेट के कारखाने हैं या शीशे के हैं, जहां वे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं । तो ऐसी जगहों पर बच्चों के काम-काज पर बिल्कुल प्रतिबंध है। दूसरी जगह ऐसी है जैसे चाय की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ऐसी जगहों पर उनको काम करने में ...**(व्यवधान)** ...

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, मैंने सवाल पूछा था कि निराश्रित बच्चों और काम-काजी बच्चों के बारे में सरकार की परिभाषा क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, तो कह दिया है कि एक निराश्रित बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, एक काम-काजी बच्चे हैं जो काम करते हैं । काम-काजी बच्चों का मतलब है बाल श्रमिक, दूसरे बच्चे है निराश्रित जिनको कोई देखने वाला नहीं है।

श्री सभापति : बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है और वह काम-काज करते हैं, तो वह काम-काजी भी हो गए और निराश्रित भी हो गए । कुछ ऐसे हैं जिनके मां-बाप हैं, उनसे काम-काज कराते हैं, वे ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान : काम-काज में दोनों बच्चे आ सकते हैं, निराश्रित बच्चे भी आ सकते हैं, जिनके मां-बाप हैं, वे भी आ सकते हैं । जो निराश्रित बच्चे हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परवानगी दी है तो आपकी अनुमति से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी।

श्री सभापति : मैंने तो आपको आवाज दी थी।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सरोज खापर्डे जी खडी थीं इसलिए ...

श्री सभापति : थोड़ा विदर्भ को पहल मिल गई, अब बम्बई आ गया।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : अध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ की रिपोर्ट के संबंध में नेशनल हेराल्ड ने इनविजिबल चाइल्ड्स के बारे में यह आर्टिकल लिखा है और उनकी जो गंभीर समस्याएं हैं, खास तौर से जो झोंपड-पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, चाहे वे दिल्ली में हों, बंबई में हों। .....

श्री सभापति : अब आप प्रश्न करिए । यह जो मानते हैं, वह, मान लिया उन्होंने ।

कुमारी चंद्रिका प्रेमजी केनिया : वे बड़ा ही अमानवीय जीवन जी रहे हैं और मालूम पड़ता है इस आर्टिकल के माध्यम से और हम देख रहे हैं कि जो जवाब दिया है दूसरे सवाल के अन्तर्गत, वह बहुत ही कंफ्यूजल लगता है कि क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी तकलीफ कम हो जाए, बिल्कुल कागजी पेपर पर रहने वाला यह जवाब है । मंत्री महोदय बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर हैं, सोशियल वेलफेयर का बहुत अच्छा काम-काज वे देख रहे हैं । मैं चाहूंगी कि यह जो चाइल्ड ट्राफिटिंग की जो समस्या है, या तो भिखमंगों की बहुत बड़ी टोलियां रहती हैं या गुंडागर्दी में उनको शामिल किया जाता है, उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है? महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को रोजगार देना चाहती हैं । तो ऐसी सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या करेंगे ? मेरे ख्याल से मिनिमम वेजेज एक्ट इन बच्चों पर लागू नहीं होता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो बच्चे रोजगार करते हैं, चाहे वे होटलों में रोजगार करते हों या रेस्टोरेंट्स में रोजगार करते हों या कोई दूसरा कामकाज करते हों, उन पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होगा या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं अपने मंत्रालय से संबंधित प्रश्न का जवाब दे रहा था लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कल्याण मंत्रालय के अलावा दूसरा कोई मंत्रालय इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है । अब दिल्ली में ही आप देखेंगे, शहरी विकास मंत्रालय ने झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में कार्यक्रम चलाए हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन बस्तियों में पानी, जन-स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइट, ये सब सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा रही है । फिर आई. सी.डी.सी. जो महिला विभाग है उसके द्वारा 2800 आंगनवाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनमें बच्चों की समुचित देखभाल की जाती है । हम सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं हैं और उनके कल्याण के लिए सभी कारगर कदम उठा रहे हैं ।

जहां तक मिनिमम वेजेज एक्ट का सवाल है, तो वह जो कानून बना हुआ है उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि जब बच्चों से या महिलाओं से काम कराया जाए तो उनको कम वेतन दिया जाए । लेकिन हकीकत यह है कि जब बच्चों से काम लिया जाता है तो उनको दूसरे लोगों के मुकाबले में मजदूरी कम मिलती है । ये कानून तो भारत सरकार बनाती है मगर इनका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के जिम्मे होता है । तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, हम राज्य सरकार को लिखते हैं और जांच करवाने का काम करते हैं ।

श्री सभापति : आप देखेंगे कि बच्चों को भी मिनिमम वेजेज मिले ।

श्री राम विलास पासवान : यह कानून में है । कानून में बच्चों के लिए कहीं भी कोई फर्क नहीं है। उनको भी औरों के बराबर मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है ।

श्री सभापति : आप प्रयास करेंगे कि बच्चों को भी उतनी ही मजदूरी मिले ।

He will try that they get the same wage.

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बताइए ।

श्री सभापति : वह इसमें कहां से आ गया ?

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : ड्रग ट्रैफिकिंग में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैसे रोकेंगे ?

श्री सभापति : ये कह रहे हैं की ड्रग ट्रैफिकिंग में बच्चों को कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आप क्या करेंगे ? आप होम मिनिस्ट्री के पास खबर भेज देंगे ।

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदय, चूंकि यह मूल प्रश्न "प्लाइट आफ वर्किंग चाइल्ड" से संबंधित है इसलिए मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहूंगी । महोदय, आंकड़ों के हिसाब से लगभग 18 करोड़ बच्चे इस देश में बाल श्रमिक हैं और इसमें भी काफी संख्या लड़कियों की है । जो बच्चे बाल श्रमिक होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, यह तो है ही लेकिन लड़कियों के साथ जो अन्याय अत्याचार और दुर्व्यवहार होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि जब कि यह (SAARC YEAR OF GIRL CHILD) सार्क गर्ल चाइल्ड ईयर है और कल ही हमने सिक्का जारी किया है, तो क्या इस वर्ष में हमारे देश में बालिका श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई विशेष कार्यक्रम सरकार अपनाएगी ?

श्री राम विलास पासवान : इस बारे में हम मंत्रालय की ओर से बैठक कर रहे हैं और इस सार्क गर्ल चाइल्ड ईयर में क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा कि जहां तक बालिका श्रमिकों का सवाल है तो उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनके साथ शोषण न हो, मजदूरी उतनी ही मिले ।

श्री सभापति : उनका कहना है कि बालिका श्रमिकों के साथ शोषण अधिक होता है, कई तरह का होता है ।

श्री राम विलास पासवान : इस बारे में जब भी शिकायतें आती हैं, हम उनके बारे में कार्यवाही करते हैं ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सरकार का जवाब बहुत अच्छा नहीं रहा ।

श्री सभापति: वह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और क्या करेंगे ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My question to the hon. Minister is about the employment of children in hazardous industries in many parts of the country and more specifically in Sivakasi in Tamil Nadu where children are employed in fire-works industries, in manufacture of matches and in other hazardous industries. Even in the child labour policy we do not make any regulations for banning of employment of children in hazardous industries. Will the Minister consider banning of employment of children in all hazardous industries in the near future ?

श्री राम विलास पासवान : आपने खतरनाक इण्डस्ट्रीज के बारे में जो बात कही है तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि खतरनाक इण्डस्ट्रीज पर टोटल बैन है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो । गवर्नमेंट की तो नहीं हो सकती है । जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, तो उन बच्चों के बारे में हम कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं । अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कह सकें कि कोई बच्चा काम नहीं करेगा क्योंकि किसी का बाप बीमार है, किसी की मां बीमार है और अगर ऐसी स्थिति में वह चाय की दूकान पर बैठता है या कोई और काम करता है तो हम उसको तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक कि हम उसके माता-पिता के लिए आल्टरनेटिव काम की व्यवस्था नहीं कर पाते । जो खतरनाक उद्योगों की बात आपने कही है, तो इन पर टोटल बैन है ।

Allotment of Flats under the HUDCO Scheme

*424. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the DDA have allotted flats under the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) Scheme during the first quarter of 1990;